P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

प्राचीन भारत में पशु बलि

शैलेन्द्र कुमार मिश्र
एसोसिएट प्रोफेसर,
प्राचीन इतिहास,
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
एम0डी0पी0जी0 कालेज,
प्रतापगढ़, भारत

सारांश

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज कृषि मूलक समाज था, जिसमें कृषि एवं पशुपालन अनिवार्य घटक थे तथा इनमें परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भी था। पशुओं का उपयोग लगभग सभी प्रकार के कृषि कार्यों के अन्तर्गत किया जाता था। खेत जोतना, सिंचाई के लिए कुँओं से पानी खींचना, फसलों की कटाई के बाद दाँवन करना तथा फसलों को ढोना इत्यादि। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने तथा खाद और व्यापारिक फसलों के उत्पादन में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान था। पशुओं के गोबर के रूप में उपलब्ध खाद सभी प्रकार के खादों में श्रेष्ठ मानी गयी थी। साथ ही पशुओं के माँस, दूध, मक्खन, ऊन, खालें इत्यादि भी प्राप्त की जाती थी। बैल, घोड़ा, ऊँट, गधा, खच्चर आदि पशुओं से परिवहन सम्बन्धी कार्य भी लिया जाता था तथा अश्व, हस्ति आदि पशुओं का सामरिक महत्व भी था। पशुओं का महत्व आर्थिक और सामरिक दृष्टि से ही नहीं अपितु धार्मिक दृष्टि से भी था। प्राचीन भारत में पशुओं की सर्वांगीण उपयोगिता को देखते हुए उसकी सेवा और रक्षा करना लोगों के धर्म एवं विश्वास का एक आवश्यक अंग बन गया था। इसके अतिरिक्त गोबर तक को पवित्र माना जाता था तथा गोमूत्र का उपयोग औषधियों में तथा धातुओं के शोधन में किया जाता था।[1] धार्मिक दृष्टि से ही पशुओं के बलि की भी प्रथा थी।

मुख्य शब्द : पशुबलि, यज्ञ, पुरोहित, मंत्र।

प्रस्तावना

प्राचीन मानव विभिन्न कष्टों के निवारण हेतु रोगों को दूर करने के लिए तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पशुओं की बलि देता था। सिन्धु घाटी की मुद्राओं पर कई पशुओं की बलि दी जाने के दृश्य अंकित है। इससे विदित होता है कि सैंधव लोग पशु–बलि करते थे ताकि देवता प्रसन्न होकर उनकी सुख–समृद्धि करें। यज्ञों या पूजा में वध किये जाने वाले पशुओं के मांस को पवित्र माना जाता था और प्रसाद के रूप में लोग उनको ग्रहण करतें थे। ऋग्वेद में भी देवताओं के सम्मान में पशुओं के बलि के कई उल्लेख मिलते हैं। ऐसे पशुओं में वृषभ, महिष, अज और मेष उल्लेखनीय हैं। यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में जिसमें यज्ञों को करने की विधियाँ विस्तृत रूप से बतलायी गयी है, विभिन्न देवताओं के लिए बलि पशुओं के नामों के उल्लेख मिलते हैं। उनमें यह भी बतलाया गया है कि उन पशुओं के लक्षण कैसे होने चाहिए। वाजसनेयी संहिता में ऐसे विभिन्न पशु–पक्षियों के उल्लेख हैं जिनकी बलि, विभिन्न यज्ञों में देवताओं को दी जाती थी। हंस की बलि वायु और सोम को, कपोत की बलि यम के लिए एवं श्वेत बक की बलि बसंत ऋतु के लिए दी जाती थी।[2] मयूर की बलि मित्र के लिए दी जाती थी तथा सुपर्ण और शुक की बलि क्रमशः विष्णु और सरस्वती के लिए।[3] तीतर का वध सर्प के लिए किया जाता था।[4] ककर और विकर, मद्गुंजलक, चक्रवाक, कशा, परूष्ण, दर्बिदा, कालका एवं गोमृग की बलि क्रमशः शीत ऋतु, मित्र, वरूण, सौमाग्नि, अनिल, वायु, वनस्पति तथा वायु को दी जाती थी। पर हरिण की बलि विभिन्न देवताओं के लिए दी जाती थी।[5] अज और नकुल की बलि पूषण के लिए की जाती थी।[6]

जातक आख्यानों तथा विभिन्न बौद्ध निकायों में भी यज्ञों में पशु बलि के कई उल्लेख मिलते हैं, जिनमें ब्राह्मण पुरोहित, धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं का निदर्यतापूर्वक वध करते थे। बुद्ध ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि मूक पशुओं की बलि यज्ञों में देने से कोई लाभ नही होता है। अतः यह पाप कर्म है। इसे उन्होनें निषिद्ध किया। उन्होनें ब्राह्मण धार्मिक सूत्र [7] में यह बतलाया है कि प्राचीन काल में ब्राह्मण संयमी, तपी, कामभोगों से दूर, अपरग्रही तथा वेदों के रक्षक थे। वे धार्मिक रीति से चावल, वस्त्र, घृत तथा तेल की याचना कर यज्ञ करते थे और गायों का वध नहीं करते थे। यह बात अच्छी तरह जानकर उन्होनें यज्ञों में उनकी हत्या नहीं की, क्योंकि अन्य हितैषियों के समान वे भी उनके मित्र

एवं हितकारिणी हैं। वे अन्न, बल रूप और सुख देने वाली है। ब्राह्मण जब तक करणीय कार्यों को करते रहे, तब तक प्रजा सुखी रही। पर राजाओं के ऐश्वर्य को देखकर उनके मन एवं कार्यों में परिवर्तन आया। उन्होनें भी गौ तथा सौन्दर्यशालिनी स्त्रियों की सम्पत्ति का लोभ किया। उन्होनें मंत्रों की रचना कर इक्ष्वाकु से यज्ञ करने का निवेदन किया क्योंकि उनके पास अपार सम्पत्ति थी। इक्ष्वाकु ने अनेक वैदिक यज्ञ कर ब्राह्मणों को गाये, वस्त्र, शैय्यायें एवं अलंकृत स्त्रियां दान में दी। ब्राह्मणों का लोभ अधिक बढ़ गया। उन्होनें उनके पास जाकर पुनः यज्ञ करने का निवेदन किया। उन्होनें उन गायों के सींगों को पकड़कर हत्या की, जो भेड़ों के समान सीधी, घड़े भर दूध देने वाली एवं अपने किसी भी अंग से हिंसा नही करने वाली थी। जब गायों पर शस्त्राघात हुआ तो देवताओं से असुर तक सभी चिल्ला उठे कि यह अधर्म है। गोवध के कारण जगत में रोगों की संख्या 3 से बढ़कर 98 हो गयी। यह हिंसा रूपी अधर्म पुराने समय से चला आ रहा है एवं पुरोहित निर्दोष गायों का वध यज्ञों में करते रहे हैं और धर्म से भ्रष्ट होते हैं। यह नीच कर्म पुराना तथा विज्ञों द्वारा निन्दित है। लोग जहाँ भी ऐसे पुरोहित को देखते हैं तो उसकी निन्दा करते हैं। इस प्रकार धर्मभ्रष्टता के कारण समाज में अनेक विकृतियाँ उत्पन्न हो गयी। बुद्ध के इस उपदेश को सुनकर श्रावस्ती के बुद्ध, श्रुतिशील एवं महाशाल ब्राह्मणों की आंखें खुल गयी। उन्होने धर्मज्ञान पाकर बुद्ध के प्रति सम्मान तथा कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि यह तो वैसा ही है मानों गौतम ने उलटा पात्र सीधा कर दिया हो। यद्यपि बुद्ध और उनके अनुयायियों ने यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया पर इसका प्रभाव कितना पड़ा यह केवल अनुमान का विषय है। पाणिनि तथा कौटिल्य ने भी विभिन्न कार्यों के लिए यज्ञों को करने का उल्लेख किया है जिनमें पशुओं की बलि दिये जाने को उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने भी संकट निवारण एवं सुख–समृद्धि के लिए पशु बलि का उल्लेख किया है। जिसकी पद्धति बड़ी ही निर्मम थी। उसने भारत के अरियनोई जनपद में की जाने वाली पशु बलि का उल्लेख करते हुए कहा है कि वहां भूगर्भ में एक विशाल गर्त था जिसमें अज्ञात कक्ष, प्रच्छन्न मार्ग एवं अदृश्य पथ थे। वे कब और किसके द्वारा बनवाये गये यह किसी को ज्ञात नहीं है। भारतवासी वहाँ तीस सहस्र से भी अधिक, मेष, अज, अश्व एवं वृषभ ले जाते थे। प्रत्येक व्यक्ति जो बुरे स्वप्न या भविष्यवाणी से भयभीत रहता था अथवा जो अपशकुनजनक पक्षियों को देखता था वह अपने जीवन के बदले इस गर्त में पशुबलि देता था। बलि का पशु इसके साधन के अनुसार होता था। जिससे उसके प्राण को छुटकारा हो सके। बलि–पशु को गर्त तक ले जाया जाता था। जिसमें गिरकर वह लुप्त हो जाता था पर उसकी चीख ऊपर तक सुनी जाती थी। यह शब्द कभी बन्द नहीं होता था क्योंकि प्रायः प्रतिदिन यहां पशु–बलि दी जाती थी।[8]

यज्ञों में पशु–बलि का प्रचलन इतना अधिक था कि अशोक को उसके निषेध के लिए राजाज्ञा निकलवानी पड़ी और अभिलेखों में उसने बार–बार प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना रखने का उपदेश दिया है। संभव है जनमानस इससे प्रभावित भी हुआ हो। महाभारत जिसमें इस युग में संशोधन एवं परिवर्द्धन किये गये, में भी यज्ञों में पशु–बलि की अनुपयोगिता के सम्बन्ध में तार्किक बातें कई आख्यानों में कही गयी है। संभव है कि देवानांप्रिय के प्रयासों के कारण ब्राह्मण–पुरोहितों पर भी प्रभाव पड़ा, एवं उन लोगों ने भी यज्ञों में पशु–बलि का विरोध किया। आश्वमेधिक पर्व[9] के नकुल आख्यान में ब्राह्मण–विचारधारा पर बौद्धों के अहिंसा धर्म का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इसमें कहा गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना ही केवल साधन नही है। अपितु श्रद्धा, सत्य, आत्मसंयम एवं तप के द्वारा भी स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। इस बात की व्याख्या पुनः की गयी है।[10] जो संभवतः दृढ़ बौद्ध प्रभाव का परिणाम थी। इसी पर्व में इन्द्र एवं पुरोहितों के मध्य संवाद में इस विषय पर विचार किया गया है कि यज्ञों में पशुओं की बलि दी जानी चाहिये या उनमें केवल अन्न का प्रयोग किया गया है। जब कोई निर्णय नही हो पाया तो राजा बसु उपरिचर ने यह निर्णय दिया कि यज्ञ उस वस्तु से करना जो भी हमें उपलब्ध हो, जिसमें पशु भी सम्मिलित हैं, परन्तु इस निर्णय के कारण उन्हे नरक में जाना पड़ा।[11] पशु–बलि पर यह बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि यही कर्म करके पहले लोग स्वर्ग में जाते थे। पुनः एक यति एवं अर्ध्वयु के संवाद में इसी विषय पर विचार किया गया है एवं कहा गया है कि यज्ञों में पशु–बलि नही होनी चाहिए।[12] कार्त्तवीर्य–समुद्र संवाद में भी अहिंसा–धर्म पर जोर दिया गया है, जो सर्वोत्तम धर्म है। जो हिंसा करते हैं, जिसमें पशु–बलि भी सम्मिलित है, वे नरक में जाते हैं।[13]

शांतिपर्व[14] में एक अत्यंत मनोरंजन संवाद अज शब्द के अर्थ के निर्धारण के लिये हैं। एक यज्ञ में अज की बलि देने की बात उठी तो यह विवाद आरम्भ हो गया कि अज का अर्थ क्या होता है। इसमें कहा गया है कि अज का अर्थ बकरा होता है परन्तु यह भी प्रयोग करना चाहिए तथा अज (बकरा) का वध नहीं होना चाहिए। महाभारत में न केवल यज्ञों में पशु–बलि का विरोध किया गया है बल्कि मांतग के आख्यान द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि जो लोग पशुओं को कष्ट देते हैं वे ब्राह्मण होने पर भी चाण्डाल के समान हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध–पत्र लेखन का उद्देश्य प्राचीन भारत में पशुबलि, प्रथा तथा उसके निषेध सम्बन्धी समय–समय पर जारी राजाज्ञायें तथा उसके सम्बन्ध में शासकों द्वारा उठाये गये कदम तथा शासकीय प्रयासों का उद्घाटन करना है। पशुओं की कृषि कर्म में उपयोगिता तथा उनके वध निषेध का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य था।

निष्कर्ष

अशोक की राजाज्ञाओं और महाभारत में पशु बलि की निषेध सम्बन्धी बातों के होते हुए भी अत्यन्त प्राचीन काल से चली आने वाली प्रथा मौर्य युग के समाप्त होते ही पुनः आरंभ हो गयी। महाभाष्य में हमें अनेक वैदिक यज्ञों के उल्लेख मिलते हैं जिनमें पशु बलि का विधान किया गया है। स्वयं पुण्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध

यज्ञ किया और दक्षिणापथ में भी हम शातकर्णी को अनेक वैदिक यज्ञों को करते हुए देखते हैं। संभव है ब्राह्मण पुनर्जागरण के इस काल में यज्ञों में पशुओं की बलि पुनः आरम्भ हो गयी हो।

सन्दर्भ

गांगुली, आर0 कैटिल एण्ड कैटिलः रेयरिंग इन एंशियन्ट इण्डिया, जर्नल ऑ द बिहार एण्ड उड़ीसा सोसाइटी, खण्ड–12, भाग–3,पृ0–117

वाजसनेयी संहिता, 24–25, ऋग्वेद, 10.165, निरूक्त, 3. 18

वाज सं0–6.11

वाज सं0–7.24, 36

वाज सं0–24.27

तै0सं0, 5, 2, 6, 5

सुत्तनिपात, 2.7.1–32

मिश्र, योगेन्द्र, मेगास्थनीज का भारत विवरण, पृ0–119–120

महाभारत, अश्वमेधिक पर्व, अध्याय 92–93

महाभारत, अश्वमेधिक पर्व, अध्याय 96

महाभारत, अश्वमेधिक पर्व, अध्याय 98

महाभारत, अश्वमेधिक पर्व, अध्याय 28, 5–28

महाभारत, अश्वमेधिक पर्व, अध्याय 29,49,2–4

महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय–324